



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

महत्वपूर्ण सूचना

शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी अराजकीय अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों से सम्बद्धता आवेदन फार्म व शुल्क ऑनलाईन Gateway Payment के माध्यम से लिया जाना है, जिसके लिए सम्बद्धता निरन्तरता शुल्क 8000/-रुपये ऑनलाईन जमा करवाये जाने है। सम्बद्धता शुल्क HDFC बैंक द्वारा Gateway Payment के माध्यम से ऑनलाईन लिया जाना है। अस्थाई मान्यता प्राप्त अराजकीय विद्यालयों द्वारा सम्बद्धता फार्म व शुल्क ऑनलाईन भरने की तिथियाँ निम्न प्रकार से है:-

बिना विलम्ब शुल्क	दिनांक 09.01.2025 से 15.01.2025 तक
विलम्ब शुल्क 5000/-रुपये सहित	दिनांक 16.01.2025 से 20.01.2025 तक

सम्बद्धता आवेदन-फार्म व शुल्क ऑनलाईन बोर्ड की अधिकारिक वैबसाईट www.bseh.org.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भरा जाना है, सम्बद्धता आवेदन-फार्म व शुल्क केवल ऑनलाईन माध्यम से लिया जाना है। ऑनलाईन सम्बद्धता फार्म के अनुसार Document upload किये जाने है। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए दूरभाष नं0 01664-254300 या बोर्ड कार्यालय की सम्बद्धता शाखा के दूरभाष नं0 01664-244171 से 176 Ext. 111 पर किसी भी कार्यदिवस में 09:00AM से 05:00PM तक सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सम्बद्धता शाखा की ई-मेल आई. डी. asaffi@bseh.org.in पर ई0मेल भेजी जा सकती है।

Asaffi
7/01/25
सहायक सचिव (सम्बद्धता)